



2024:सी जी एच सी : 42486

1

एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
निर्णय सुरक्षित रखा गया : 03/09/2024

निर्णय सुनाया गया : 25/10/2024

क्रिमिनल अपील क्रमांक 639/2005

हुमन सिंह निषाद (मृत) माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 23.10.2017, द्वारा विधिक वारिसान उसकी पत्नी - श्रीमती पुष्पा निषाद पत्नी हुमन सिंह निषाद उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी गोकुलपुर वार्ड ब्रह्मद चौक धमतरी जिला धमतरी (सी.जी.)

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल ईकाई रायपुर (सी.जी.)

.....उत्तरवादी

अपीलार्थी द्वारा : श्री कृष्णा टण्डन अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादी द्वारा : श्री राहुल अमीन मेमन पी.एल.।

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे
सी.ए.वी.निर्णय



1. यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर जिला रायपुर छ.ग. के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 20/2022 में दिनांक 28.07.2005 को पारित निर्णय के विरुद्ध धारा 374 द.प्र.स. के तहत प्रस्तुत की गयी है जिसके तहत उक्त न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध पाते हुए निम्नानुसार दण्डादेश दिया है –

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत ।	02 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 2,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदायगी के व्यतिक्रम में 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास ।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत।	3 वर्ष का सश्रम कारावास सहित 3,000/-रुये जुर्माना, जुर्माना अदायगी के व्यतिक्रम में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास

(दोनों मूल सजाएँ एक साथ भुगताये जाने का निर्देश दिया गया है।)

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी मालिकराम साहू ग्राम जमुड़ा, थाना-बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी है, उसका अपने गांव के इंद्रजीत गौड़ से 1.96 एकड़ जमीन खरीदने का सौदा था। चूंकि जमीन पर इंद्रजीत गौड़ का कब्जा था, जो अनुसूचित जनजाति जाति का है, इसलिए उसकी जमीन अनारक्षित जाति के व्यक्ति से कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे में फरियादी



2024:सी जी एच सी : 42486

3

मालिकराम साहू इंद्रजीत गौड़ से जमीन खरीदने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने कलेक्टर कार्यालय गया और फरियादी ने जनवरी 2001 के अंतिम सप्ताह में आवेदन दिया। इस संबंध में कलेक्टर ने आवेदन को तहसील कार्यालय महासमुंद को भेज दिया था और उसके बाद, उसे एसडीएम कार्यालय महासमुंद, (छ.ग.) को भेज दिया गया। जब शिकायतकर्ता मालिकराम साहू को जमीन हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो वह कई बार कलेक्टर महासमुंद के कार्यालय गया, वहां उसकी मुलाकात कलेक्टर महासमुंद के रीडर आरोपी हुमन सिंह निषाद से हुई। तब आरोपी ने उससे कहा कि कुछ पैसे दिए बिना काम नहीं होगा। इस पर, शिकायतकर्ता मालिकराम साहू 23.04.2001 को पुनः कलेक्टर कार्यालय महासमुंद गया और रीडर हुमन सिंह निषाद से मिला, जिस पर आरोपी/अपीलार्थी द्वारा 8,000/- रुपये की मांग की गई और उसने आगे कहा कि अगर उसकी मांग पूरी हो जाती है, तो वह आवेदक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर देगा और शिकायतकर्ता को उक्त पैसे लाने के लिए कहा। चूंकि, शिकायतकर्ता आरोपी/अपीलार्थी को पैसा नहीं देना चाहता था, इसलिए दिनांक 24.04.2001 को शिकायतकर्ता अपने परिचित टिकास लाल साहू के साथ पुलिस अधिकारी लोकायुक्त कार्यालय रायपुर के पास गया और शिकायतकर्ता ने लिखित शिकायत प्र. पी/26 के रूप में प्रस्तुत की और शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस निरीक्षक रामकुमार शर्मा को आवेदन पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया तथा शिकायतकर्ता को एक माइक्रो टेप रिकॉर्डर कैसेट देकर निर्देश दिया कि रीडर यानि आरोपी/अपीलार्थी हुमन सिंह निषाद के पास जाकर रिश्वत की रकम के संबंध में



2024:सी जी एच सी : 42486

4

बात करें और दूरभाष पर सूचित करें। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता उसी दिन शाम को हुमन सिंह निषाद के कार्यालय गया और 8,000/- रुपये की रिश्त के संबंध में हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। तब उसने उप पुलिस अधीक्षक श्री बंजारे को दूरभाष पर घटना की जानकारी दी। इस पर उप पुलिस अधीक्षक श्री बंजारे ने शिकायतकर्ता मालिकराम साहू को दिनांक 25.04.2001 को दोपहर 01:00 बजे ग्राम गोधरी जाने के निर्देश दिये। शिकायतकर्ता मालिकराम साहू ने पुनः दिनांक 25.04.2001 को प्र.पी/01 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर के नाम आवेदन प्रस्तुत कर पुलिस निरीक्षक श्री आर. के. शर्मा को आरोपी अपीलार्थी हुमन सिंह निषाद के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्री राम कुमार शर्मा (पीडब्लू-01), पुलिस निरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर ने पंच गवाह कौशलेन्द्र मिश्रा, सहायक मत्स्य अधिकारी, रायपुर एवं श्री सुप्रियो सान्योल, मत्स्य निरीक्षक, रायपुर को दिनांक 24/04/2001 को शाम के समय लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर में तलब किया था। तत्पश्चात अगले दिन यानि 25/04/2001 को सुबह लोकायुक्त कार्यालय में बुलाकर महासमुंद पहुंचने से पहले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचने को कहा, जहां पर शिकायतकर्ता मालिकराम साहू एवं उसका परिचित टिकास लाल साहू उपस्थित थे। वहां पर मालिकराम साहू द्वारा शिकायत पत्र प्र. पी/1 दिया गया, जिसे पंच गवाह कौशलेन्द्र मिश्रा (पीडब्लू-01) एवं सुप्रियो सान्योल ने पढ़ा तथा शिकायतकर्ता मालिकराम साहू से शिकायत के संबंध में पूछताछ की तथा आवेदक द्वारा रिकार्ड किए गए टेप में शिकायतकर्ता एवं आरोपी के बीच शिकायत के संबंध में हुई बातचीत को सुना, जिसकी रिकॉर्डिंग आवेदक ने की थी।



2024:सी जी एच सी : 42486

5

प्रतिलेखन एक्स.पी/02 है। जब्ती ज्ञापन एक्स. पी/03 के अनुसार टेप को जब्त किया गया तथा नोट लिखा गया तथा शिकायतकर्ता द्वारा लिखे गए शिकायत पत्र को सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई। तत्पश्चात, आरोपी हुमन सिंह निषाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत बिना नंबर देहाती नालसी (एक्स.पी/30) के तहत मामला दर्ज किया गया। ट्रैप पार्टी का गठन किया गया तथा आवेदक मालिकराम साहू ने रिश्वत की राशि 4,000/- रुपए 100/- रुपए के 40 नोटों के रूप में प्रस्तुत की। प्रारंभिक पंचनामा में रिश्वत के नोटों की संख्या एक्स.पी/6 के अनुसार दर्ज की गई। आरक्षक अमलदास लकड़ा ने शिकायतकर्ता मालिकराम साहू के कपड़ों की तलाशी लेने के बाद रिश्वत के नोट शिकायतकर्ता की शर्ट की जेब में रख दिए तथा उसे समझाईश दी गई कि रिश्वत के नोट आरोपी को देने से पहले तथा बाद में वह आरोपी से हाथ नहीं मिलाएगा तथा रिश्वत की रकम आरोपी को देने के बाद सिर खुजाने का इशारा करके ट्रैप पार्टी को संकेत देगा। इसके बाद कार्यवाही हुई जिसमें आरक्षक पवन पाठक ने सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया तथा आरक्षक अमलदास लकड़ा को छोड़कर शेष ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ धुलवाए गए तथा पाया कि घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा कोई लाभ न होने पर उन्होंने घोल को फेंक दिया। आरक्षक पवन पाठक ने पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया तथा इस बार आरक्षक अमलदास लकड़ा की उंगलियां धुलवाई गई तथा घोल का रंग गुलाबी हो गया तथा उसे एक शीशी में बंद कर दिया गया। फिनाफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तैयार किया गया। ट्रैप दल में आरक्षक अमलदास लकड़ा शामिल नहीं था। शिकायतकर्ता मालिकराम साहू को रिश्वत की रकम



2024:सी जी एच सी : 42486

6

देते समय आरोपी/अपीलार्थी से हुई बातचीत को रिकार्ड करने के निर्देश पुनः दिए गए तथा उसे टेप रिकॉर्डर दिया गया जिसका पंचनामा प्र. पी/05 है। प्रारंभिक पंचनामा कार्यवाही प्र. पी/06 है। ट्रैप दल दिनांक 25/04/2001 को प्रातः 09:00 बजे ग्राम बेलसोंडा, गोधारी के रेलवे क्रासिंग से शासकीय जीप में महासमुंद के लिए रवाना हुआ तथा तत्पश्चात ट्रैप दल आरोपी/अपीलार्थी के घर के लिए रवाना हुआ तथा लगभग 10:00 बजे महासमुंद के बस स्टैंड पहुंचा। शासकीय जीप से उतरकर आवेदक मालिकराम साहू एवं टिकास लाल साहू पैदल ही आरोपी/अपीलार्थी के शासकीय निवास पर गए तथा ट्रैप दल के सदस्य आरोपी अपीलार्थी के घर के पास खड़े थे। इसके बाद प्रार्थी मालिकराम साहू एवं टिकास लाल साहू आरोपी/अपीलार्थी के शासकीय निवास के अंदर गए और उसे रिश्वत की रकम दी, कुछ देर बाद टिकास लाल साहू घर के बाहर आया और सिर हिलाया। इशारा मिलते ही डीएसपी श्री जीआर बंजारे (पीडब्लू-11) ने आरोपी का बाया हाथ पकड़ा और पुलिस निरीक्षक श्री रामकुमार शर्मा (पीडब्लू-10) ने आरोपी अपीलार्थी के दाहिने हाथ की कलाई पकड़कर आरोपी/अपीलार्थी को अपना परिचय दिया और आरोपी की पहचान कराई। आरोपी ने बताया था कि रिश्वत की रकम उसके हाथ में है और उसकी अलमारी में रखी है। कांस्टेबल पवन पाठक (पीडब्लू-06) ने सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जिसमें आरोपी अपीलार्थी हुमान सिंह निषाद एवं फरियादी मालिकराम साहू को छोड़कर शेष ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ धुलवाए गए एवं घोल का रंग रंगहीन हो गया, जिसे सीलबंद कर शीशी में रख लिया गया। तत्पश्चात आरक्षक पवन पाठक (अ.सा.-06) द्वारा पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया जिसमें



2024:सी जी एच सी : 42486

7

आरोपी/अपीलार्थी के दोनों हाथ धुलवाए गए एवं घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सीलबंद कर शीशी में रख लिया गया। आरोपी/अपीलार्थी ने बताया कि उसने रिश्त की रकम अपनी अलमारी में रखी थी, जिसे जब्ती ज्ञापन प्र.पी/08 के अनुसार जब्त कर लिया गया। रिश्त में लिए गए नोटों का मिलान प्रारंभिक पंचनामा (प्र.पी/06) में पूर्व में अंकित अंकों से किया गया, तो वह समान पाया गया। आरक्षक पवन पाठक (अ.सा.-06) द्वारा सोडियम कार्बनैट का घोल तैयार किया गया एवं उसमें रिश्त में लिए गए नोटों को डुबाया गया, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया, उसे सीलबंद कर शीशी में रख लिया गया। कांस्टेबल पवन पाठक (पीडब्लू-06) ने पुनः सोडियम कार्बोनेट घोल तैयार किया तथा फरियादी मालिकराम साहू के हाथ उसमें डुबाए गए तथा पाया गया कि घोल का रंग गुलाबी हो गया है तथा घोल को भी सील करके शीशी में रख लिया गया। पुलिस निरीक्षक श्री रामकुमार शर्मा ने शीशियों को जब्त कर लिया तथा टेप रिकॉर्डर भी जब्त कर लिया जिसमें रिश्त की रकम के संबंध में फरियादी तथा अपीलकर्ता के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड थी। आरोपी/अपीलकर्ता के समझौते से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए तथा गवाहों के पुलिस बयान दर्ज किए गए। छविराम (पीडब्लू-03) ने घटनास्थल का नक्शा (एक्स.पी/14) तैयार किया। घटनास्थल पर कार्यवाही का पंचनामा (एक्स.पी/16) गवाहों की मौजूदगी में तैयार किया गया। उचित और आवश्यक जांच पूरी होने के बाद, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, उसके बाद उसके खिलाफ तदनुसार आरोप तय किए गए और बाद में मामला विशेष न्यायाधीश और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) को विशेष



2024:सी जी एच सी : 42486

8

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 20/2002 में उपापित किया गया और आरोपी व्यक्ति/अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त रूप में "अधिनियम") की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत आरोपी व्यक्ति/अपीलकर्ता ने अपने अपराध से इंकार किया और विचारण की प्रार्थना की।

3. आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों का परीक्षण करवाया और आरोपी/अपीलकर्ता ने भी अपने बचाव में 01 गवाह का परीक्षण करवाया।

आरोपी अपीलकर्ता का बयान भी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज करवाया गया जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के मामले में उसके खिलाफ रखी गयी सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों से इंकार किया और मामले में खुद को निर्दोष और झूठे फंसाए जाने का अभिवाक लिया।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष ने अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (डी) और 13 (2) 1988 के अनुसार आरोपी/अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित किया है और इस निर्णय के आरंभिक पैराग्राफ में उल्लेखित अनुसार उसे दण्डादेश दिया गया। इसलिए यह अपील ।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाला विचारण न्यायालय का फैसला गलत है और कानून के अनुसार नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा



13 (2) के साथ धारा 7 और 13 (1) (डी) के आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि कलेक्टर द्वारा अनुमति देने के लिए अपीलकर्ता की कोई भूमिका नहीं है, अपीलकर्ता कलेक्टर के कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि राजस्व संहिता की धारा 165 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उसका कलेक्टर पर कोई नियंत्रण है और इसलिए वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा अनुमति मांगने या देने का कोई सवाल ही नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता को इस तथ्य की जानकारी थी कि उसके पक्ष में एक आदेश उस तारीख से पहले पारित किया गया था जब उसने कथित रूप से अवैध रिश्त का भुगतान किया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता को अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के लिए, अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता द्वारा कोई राशि का भुगतान किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य का विश्लेषण साक्ष्य अधिनियम के तहत स्थापित न्यायदृष्टांतों एवं साक्ष्य विश्लेषण के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में गलती हुई है जिस कारण विवादित दोषसिद्धि और दण्डादेश का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में, उन्होंने कहा कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई थी और उनके विधिक वारिसान उनकी अपील जारी रखे हुए हैं और इस



चल रहे मामले के कारण, उनके विधिक वारिसान को सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

6. उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 320 एवं न्यायदृष्टांत नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) के मामले में 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 280 प्रस्तुत किया गया है।

7. इसके विपरीत प्रतिवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की सूक्ष्म समीक्षा के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1) (डी) के साथ धारा 13(2) के तहत उचित रूपेण दोषी ठहराया है और दण्डादेश दिया है। इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश का निर्णय न्यायोचित है और इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह अपील किसी भी तरह से गुण-दोष से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

8. दोनों पक्षों के वकीलों को सुना गया तथा विवादित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 13(2) के तहत आरोप विरचित किए हैं।



शिकायतकर्ता/मलिक राम साहू के अनुसार आरोपी/अपीलकर्ता ने रिश्त राशि (अवैध परितोष) के रूप में 8,000/- रुपये की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए 13 गवाहों का परीक्षण करवाया और आरोपी/अपीलकर्ता ने भी अपने बचाव में 01 गवाह का परीक्षण करवाया। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी/अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 13 (2) के तहत दोषसिद्ध किया है।

10. शिकायतकर्ता मालिक राम साहू (पीडब्लू-08) ने कथन किया है कि उसने इंद्रजीत सिंह से दो एकड़ जमीन खरीदी थी और उसने जमीन से संबंधित अपने लेन-देन के संबंध में अनुमति के लिए कलेक्टर महासमुंद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और वह टिकास लाल साहू के साथ कलेक्टर कार्यालय गया और टिकास लाल साहू ने आवेदन तैयार किया और वे रायपुर (छ.ग.) गए। टिकास लाल साहू की आरोपी/अपीलकर्ता से पूर्व दुश्मनी थी और लोकायुक्त कार्यालय में टिकास लाल ने शिकायतकर्ता से कागज (एक्स. पी/26) पर हस्ताक्षर लिया, जिस पर शिकायतकर्ता ने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए जिसमें पहले से कुछ लिखा हुआ था और उस कागज पर लिखी जानकारी के बारे में उसे जानकारी नहीं थी क्योंकि उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। उसने यह भी बताया कि उसे टेप रिकॉर्डर के बारे में पता नहीं था और दो-तीन दिन बीतने के बाद वह टिकास लाल के साथ गोधारी गए, जहां शिकायतकर्ता ने कुछ आवेदन दिया, लेकिन वह उस आवेदन में मामले के बारे में अपनी याददाश्त को याद नहीं कर पा



2024:सी जी एच सी : 42486

12

रहा है और लोकायुक्त कार्यालय में उसने प्र. पी/01 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए। उसने जब्ती ज्ञापन प्र. पी/03 और प्र. पी/05 पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। इसके बाद, वे महासमुंद में अपीलकर्ता के घर गए और उस समय, अपीलकर्ता स्नान कर रहा था और उसकी बेटी आई, तब टिकास ने अपीलकर्ता की बेटी को कुछ पैसे दिए और उसे अपने पिताजी को देने के लिए कहा और उसके बाद वह टिकास के साथ अपीलकर्ता के घर से निकल गया और वापस अपने गांव आ गया। अभियोजन पक्ष ने इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया और उसका प्रतिपरीक्षण किया, लेकिन उसने अभियोजन के सभी सुझावों से इंकार किया और उसने लोकायुक्त की सभी कार्यवाहियों से भी इंकार किया। उसने केवल हस्ताक्षर करना स्वीकार किया, लेकिन मालिक राम के अनुसार टिकास की अपीलार्थी से पूर्व से दुश्मनी थी और टिकास लाल ने सभी कागजातों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए और महासमुंद (छ.ग.) में अपीलार्थी के घर पहुंचने पर जब अपीलकर्ता नहा रहा था, टिकास लाल ने अपीलकर्ता की बेटी को कुछ पैसे दिए। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि घटना दिनांक के पूर्व कलेक्टर ने उसके पक्ष में आदेश पारित किया था और 23.04.2001 को उसने अपने आदेश के संबंध में पूछताछ की तो उसे बताया गया कि आदेश 23.04.2001 को पारित हुआ था और उसने आदेश पत्र प्र. पी/17 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए थे और उसे पता चला कि टिकास लाल के विरुद्ध कई आपराधिक मामले लंबित हैं और टिकास लाल लोगों को उसकी मांग पूरी न करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगता था।



11. टिकास लाल साहू (पीडब्लू-12) ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया तथा बताया कि मालिकराम ने उसे बताया कि आरोपी/अपीलार्थी ने 4,000/- रुपये की रिश्त (अवैध रिश्त) की मांग की है ताकि वह कलेक्टर कार्यालय से इन्द्रजीत सिंह से खरीदी गई जमीन के लेन-देन के संबंध में स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सके। तब उसने शिकायतकर्ता मालिकराम को आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी तथा वह शिकायतकर्ता के साथ लोकायुक्त कार्यालय गया तथा आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज कराने के पश्चात घटना दिनांक को वह शिकायतकर्ता के साथ अपीलार्थी के घर गया, जहां उसकी पुत्री बाहर आई तथा तब मालिकराम ने कुछ राशि उसकी पुत्री को दी तथा उसके पश्चात लोकायुक्त कार्यालय की ट्रैप टीम वहां आई तथा आरोपी/अपीलार्थी का हाथ पकड़ लिया। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया तथा उससे प्रतिपरीक्षण किया, परंतु उसने अभियोजन पक्ष के सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया। अतः यह स्पष्ट है कि मालिकराम (पीडब्लू-08) और टिकास लाल (पीडब्लू-12) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

12. ट्रैप गवाह (पीडब्लू-01) कौशलेंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्होंने बातचीत सुनी जो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी और एक प्रतिलेखन प्र. पी/02 तैयार किया और टेप/कैसेट की जब्ती प्र. पी/03 है, और घटना की तारीख को, वे शिकायतकर्ता मलिक राम के साथ आरोपी/अपीलकर्ता के घर गए और कुछ दूरी पर खड़े थे और जब किसी ने उन्हें इशारा किया, तो वे आरोपी/अपीलकर्ता के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ट्रैप दल



2024:सी जी एच सी : 42486

14

के सदस्य ने अभियुक्त/अपीलकर्ता का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद अभियुक्त/अपीलकर्ता अपनी अलमारी से 100/-रुपये के 40 नोट ले आया। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसके सामने जब ट्रैप दल ने रिश्वत के पैसे के बारे में पूछताछ की तो अपीलकर्ता ने कहा कि उसने शिकायतकर्ता से कोई रिश्वत नहीं ली और ट्रैप दल ने अभियुक्त/अपीलकर्ता की तलाशी ली, लेकिन अभियुक्त/अपीलकर्ता के पास से रिश्वत की रकम नहीं मिली और उसने यह भी स्वीकार किया कि ट्रैप दल के आने से पहले शिकायतकर्ता मलिक राम अपने परिचित टिकास लाल के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता के घर के अंदर था। यह सही है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से केवल 345/- रुपये बरामद हुए थे और अन्य ट्रैप गवाह सुप्रियो सान्याल का अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं किया गया।

13. शिकायतकर्ता और उसके गवाह टिकास लाल के बयानों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने ट्रैप टीम/पार्टी की सभी कार्यवाहियों पर भरोसा किया और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। हालांकि, प्रतिलेखन (एक्स. पी/02) से यह स्पष्ट है कि एक्स. पी/12 में यह नहीं लिखा है कि यह प्रतिलेखन किसने तैयार किया। पीडब्लू-01 कौशलेंद्र मिश्रा ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन उसने कहा कि बातचीत स्पष्ट नहीं थी और शिकायतकर्ता द्वारा यह बताया गया कि यह बातचीत उनके और कुछ कर्मचारियों के बीच हुई थी।



14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी (सुप्रा) में पैराग्राफ 19 और 24 में प्रतिपादित किया है :-

"19. हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का यह मानना बिल्कुल सही था कि भाषणों के टेप रिकॉर्ड साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार "दस्तावेज" थे, जो तस्वीरों से किसी भी तरह से भिन्न नहीं थे, और वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य थे:

(क) कथित रूप से बोलने वाले व्यक्ति की आवाज रिकार्ड बनाने वाले या उसे जानने वाले अन्य लोगों द्वारा विधिवत पहचानी जानी चाहिए।

(ख) जो कुछ वास्तव में दर्ज किया गया था उसकी सटीकता को रिकॉर्ड के निर्माता द्वारा साबित किया जाना था और संतोषजनक साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य होना था ताकि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की संभावनाओं को खारिज किया जा सके।

(ग) दर्ज की गई विषय-वस्तु को साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित सुसंगति के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत सिद्ध किया जाना था।

इन्हीं आवश्यकताओं को उच्च न्यायालय द्वारा आर. बनाम मकसूद अली, (1965) 2 ऑल ईआर 464 में प्रतिपादित किया गया था।

24. "टेप रिकॉर्ड की संक्षिप्त प्रतिलिपियों के संबंध में, उनके निर्माताओं का साक्ष्य मौजूद है। यह निश्चित रूप से समर्थनकारी है क्योंकि यह केवल इस बात की पुष्टि करता है कि टेप रिकॉर्ड में क्या था। टेप रिकॉर्ड रिकॉर्ड की गई चीजों का प्राथमिक साक्ष्य था। प्रतिलिपियों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि प्रतिलेखन के



समय प्रतिलेखक ने वहां क्या रिकॉर्ड किया था। यह छेड़छाड़ के खिलाफ एक जाँच के रूप में काम करता है। उच्च न्यायालय द्वारा उनका उचित उपयोग केवल पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में ही किया गया था।"

15. वर्तमान मामले में भी अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि कैसेट में आवाज अभियुक्त/अपीलार्थी की थी तथा इस मामले में शिकायतकर्ता ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ट्रैप की तिथि से पूर्व ही उसके पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया था।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नीरज दत्ता (सुप्रा)** मामले में पैरा 18 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया है:—

"18. किसी लोक सेवक द्वारा रिश्त की मांग और स्वीकृति का आरोप उचित संदेह से परे स्थापित होना चाहिए। संविधान पीठ का निर्णय उचित संदेह से परे सबूत की इस प्राथमिक आवश्यकता को कम नहीं करता है। संविधान पीठ उन तरीकों के मुद्दे पर विचार कर रही थी जिनके द्वारा मांग को साबित किया जा सकता है। संविधान पीठ ने निर्धारित किया है कि सबूत केवल प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्य के माध्यम से भी हो सकता है। जब रिश्त की मांग को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को प्रत्येक परिस्थिति को स्थापित करना चाहिए, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष चाहता है कि न्यायालय दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल एक परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा रिश्त की



मांग की गई थी। इसलिए, इस मामले में, हमें यह देखना होगा कि क्या मांग का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मांग का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, तो इस न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या मांग को साबित करने के लिए कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।"

17. शिकायतकर्ता और उसके गवाह ने बताया कि रिश्त की रकम आरोपी/अपीलकर्ता की बेटी को दी गई थी और ट्रैप के समय आरोपी/अपीलकर्ता नहा रहा था। पी. डब्लू-01 ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि तलाशी के समय आरोपी/अपीलकर्ता से कोई रिश्त की रकम बरामद नहीं हुई और केवल 345/- रुपये बरामद हुए। अभियोजन पक्ष ने अन्य ट्रैप गवाहों की जांच नहीं की, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल विवेचना अधिकारी और अन्य पुलिस गवाहों के बयान पर भरोसा किया और अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगतार सिंह (सुप्रा) के पैरा 9 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया है:-

"9. उपर्युक्त संविधान पीठ के निर्णय के निष्कर्षों को पैराग्राफ 74 में संक्षेपित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"74. उपर्युक्त निष्कर्ष से जो बात सामने आई वह संक्षेप में इस प्रकार है:

(ए.) अभियोजन पक्ष द्वारा विवादित तथ्य के रूप में लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति का सबूत अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) (आई) और



(आईआई) के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

(बी.) अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को सबसे पहले अवैध रिश्त की मांग को स्वीकार करना होगा और फिर तथ्य के तौर पर स्वीकार करना होगा। इस विवाद पर तथ्य को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति का हो सकता है।

(सी) इसके अलावा, विवाद में तथ्य, अर्थात् अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति का सबूत प्रत्यक्ष **मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति** में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।

(डी) विवादित तथ्य अर्थात् लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगा:

(i) यदि **रिश्त देने वाले द्वारा लोक सेवक की ओर से कोई मांग** किए बिना भुगतान करने की पेशकश की जाती है और लोक सेवक केवल प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और अवैध परितोषण प्राप्त कर लेता है, तो यह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला है। ऐसे मामले में लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) दूसरी ओर, यदि **लोक सेवक कोई मांग करता है** और रिश्त देने वाला मांग स्वीकार कर लेता है और मांगी गई रिश्त देता है जिसे लोक सेवक प्राप्त करता है, तो यह प्राप्ति का मामला है। प्राप्ति के मामले में, अवैध परितोषण की पूर्व मांग लोक सेवक की ओर से होती है। यह अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (i) और (ii) के तहत अपराध है।



(iii) उपरोक्त (I) और (ii) दोनों मामलों में, रिश्त देने वाले द्वारा की गई पेशकश और लोक सेवक द्वारा की गई मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा विवादित तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बिना किसी अतिरिक्त चीज के अवैध परितोषण की मात्र स्वीकृति या प्राप्ति, अधिनियम की धारा 7 या धारा 13 (1) (डी), (i) और (ii) के तहत अपराध नहीं बनाती है। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध को साबित करने के लिए, रिश्त देने वाले की ओर से एक प्रस्ताव होना चाहिए जिसे लोक सेवक द्वारा स्वीकार किया जाता है जो इसे अपराध बनाता है। इसी तरह, लोक सेवक द्वारा की गई पूर्व मांग जब रिश्त देने वाले द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और बदले में भुगतान किया जाता है जिसे लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और

(i) और (ii) के तहत प्राप्ति का अपराध होगा।

(ई) अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य की उपधारणा न्यायालय द्वारा अनुमान के माध्यम से तभी लगाई जा सकती है जब मूलभूत तथ्य सुसंगत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा सिद्ध किए गए हों, न कि उसके अभाव में। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, न्यायालय के पास इस बात पर विचार करते समय तथ्य की उपधारणा बनाने का विवेकाधिकार है कि मांग का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया है या नहीं। बेशक, तथ्य की उपधारणा अभियुक्त द्वारा खंडन के अधीन है और खंडन के अभाव में उपधारणा कायम रहती है।

19. उपरोक्त निर्णयों और वर्तमान मामले के आलोक में, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसके मित्र/परिचित अपने बयान से पलट गए हैं। ट्रैप गवाह (पीडब्लू-



2024:सी जी एच सी : 42486

20

01) ने भी मांग और स्वीकृति का समर्थन नहीं किया है और पीडब्लू-01 एकमात्र चश्मदीद गवाह है, जिसने कहा कि रिश्त की राशि किसी बक्से से बरामद की गई थी, ऐसे में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा दागी मुद्रा नोट की मांग और स्वीकृति के संबंध में स्वीकार्य और पुख्ता साक्ष्यों का अभाव है, जिससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी संदिग्ध हो जाती है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, मेरी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता द्वारा अवैध संतुष्टि (रिश्त राशि) की मांग और स्वीकृति दोनों ही उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का विश्लेषण नहीं किया और अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया है।

20. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा सभी गवाहों के बयानों को देखते हुए, यह अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष और अपीलकर्ता को दी गयी दोषसिद्धि एवं दण्डादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं। इसलिए अपीलकर्ता को दी गयी दोषसिद्धि और दण्डादेश अपास्त किया जाता है एवं आरोपी/अपीलकर्ता स्वर्गीय हुमन सिंह निषाद को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

21. विचारण न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत वापस भेजी जाए।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश



2024:सी जी एच सी : 42486

21

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

